अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास भागीरथ राम आर.ए.एस

वादी
श्री भीमसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत
निवासी–बलाना तह0 सुमेरपुर
अधिवक्ता वादी सुरेश कुमार खण्डेलाल

बनाम

प्रतिवादीगण
1.श्री सुरेश कुमार पुत्र जियालालजी
2.श्री गणपतलाल पुत्र मिश्रीमलजी
जातिगण– सोनी निवासीयान–शिवगंज
3.श्रीमति पूजाकुंवर पुत्र रविन्द्रसिंह राव
निवासी–11 रामेश्वर नगर सेक्टर सी
बासनी जोधपुर
4.तहसीलदार शिवगंज
अधिवक्ता प्रतिवादी सुनिल गहलोत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 50/2016

–निर्णय/आदेश (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी)
दिनांक 24.02.2022

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा तथा प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा के तहत वादी ने जरिये अधिवक्ता विरुद्ध प्रतिवादीगण का पेश किया। संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है किः– मौजा केसरपुरा पटवार हल्का केशरपुरा तहसील शिवगंज में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 02.01 बीघा किस्म बरसाली–1 ए आई हुई है। सन 1960 में खेता वल्द नेमा जाति कुम्हार निवासी कलापुरा शिवगंज के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है। जो भूमि मूल खेता नें सन 1960 में प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बलाना को मौखिक रूप से 95/–रूपये में बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। चूंकि उस समय कोई लिखित ईकरारनामा/बेचाननामा नहीं होने से वह प्रतापसिंह की मृत्यु हो जाने से मूल खातेदार खेता वल्द नेमा ने सन् 1960 के मौखिक बैचान को स्वीकार करते हुए वादी के पिता प्रतापसिंह की मृत्यु के बाद वादी के पक्ष में दिनांक 13.04.1977 को बेचान लिखित कृषि भूमि का 10/–रूपये के स्टांप पर साक्षीगणों के समक्ष लिख कर दिया। उक्त भूमि पर सन् 1960 से वादी का कब्जा चला आ रहा है। लेकिन कानूनी जानकारी नहीं होने से उक्त भूमि का वादी अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में ईन्द्राज नहीं करवा सका। राजस्व रेकर्ड में खेता वल्द नेमा का ही नाम दर्ज करने से खेता के स्वर्गीय होने के बाद उनके वारिसान द्वारा उनको यह जानकारी होते हुए भी कि उक्त भूमि वादी को बेचान की हुई है। फिर भी राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन सरपंच से मिलावट ग्राम पंचायत केसरपुरा के बिना प्रस्ताव के जरीये फौतेदगी नामांतरकरण के दाना पुत्र खेता, रूपा पुत्र खेता कुम्हार नाबालिग संरक्षक सुमटी बेवा खेता कौम कुम्हार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया जो पटवारी ने अवधिकाल नहीं माना फिर भी ग्राम पंचायत केसरपुरा के सरपंच के द्वारा गलत रूप से स्वीकृत कर दिया गया। खेता के वारिसान के नाम से गलत नामांतरकरण स्वीकृत होने के बाद खेता के वारिसान द्वारा उक्त भूमि भेरूलाल उर्फ भंवरलाल पुत्र मगनराज गांधी शिवगंज को बेचान कर दिया एवं भेरूलाल द्वारा उक्त भूमि श्रीमति विमलादेवी धर्मपत्नी रतनचंद जैन, सुरेश कुमार पुत्र जीयालाल सोनी एवं गणपतलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति सोनी निवासी शिवगंज को बेचान कर दिया। श्रीमति विमलादेवी ने अपना हिस्सा श्री मोहब्बतसिंह पुत्र फूलसिंह जी जाति राव निवासी चांदाना को बेचान कर दिया। मोहब्बतसिंह के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान चंदनसिंह, देवीसिंह, रूकमणि कुंवर, भगवती कुंवर, शकुंतला कुंवर, विमलाकुंवर, निरमा कुंवर पिसरान मोहब्बतसिंह व श्रीमति रतनकुंवर धर्मपत्नि मोहब्बतसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज हुए। जिन्होंने उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 03 पूजा कुंवर को बेचान कर दी। इस प्रकार वर्तमान में राजस्व रेकर्ड ... 1 लगाय 3 का गलत रूप से बिना कब्जे स्वामित्व के आ रहा है। जबकि उक्त भूमि पर ... मात्र कब्जा काश्त सन 1960 से वादी का चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:02:38 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता का देहान्त हो जाने से खेता द्वारा उक्त ... का बेचान लिखित कृषि भूमि का साक्षीगण गणेशाराम, गुमानसिंह व दस्तावेज लेखक जवानसिंह सोलंकी की उपस्थिति में ... 13.04.1977 को पूर्व में बेचान की राशि प्राप्त कर स्वीकार कर ... के पक्ष में लिखित में निष्पादित किया था। चुंकी उक्त बेचान लिखित में वर्णित प्रतिफल राशि 100/–रू0 से कम अर्थात 95/–रूपये होने से कानूनन उक्त लिखत का पंजीयन करवाना आवश्यक नहीं होने से उक्त लिखित का तत्समय पंजीयन नहीं करवाया गया।

वादी वादग्रस्त कृषि भूमि पर करीब 55 वर्षो से शांतिपूर्वक लगातार बेरोकटोक प्रतिवादीगण की जानकारी में काश्त करता आ रहा है। जिस कारण वाद ग्रस्त कृषि भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार कृषक हो चुका है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.... वादीगण की ओर से पेश वाद दिनांक 02.02.2016 को दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी सुरेश कुमार व अन्य एवं जरिये सरकार तहसीलदार शिवगंज को सम्मन जारी किये गये। दिनाक 10.3.2016 को प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 के सम्मन तामील एवं प्रतिवादी सं0 01 व 2 की ओर से अधिवक्ता सुनिल गेहलोत द्वारा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 05.05.2016 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी सं0 01 व 2 को जवाबदावा पेश किया गया, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। दिनांक 11.09.2019 को प्रतिवादी सं0 03 की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्रसिंह राव ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 07.11.2019 को प्रतिवादी सं0 03 को अंतिम अवसर दिया जाने के बाद जवाबदावा बंद किया गया। दिनांक 16.01.2020 को प्रतिवादी सं0 4 का जवाबदावा बंद किया गया। दिनांक 20.08.2020 को प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत हस्ब धारा 35 स्टांप अधिनियम एवं हस्ब धारा 17 रजिस्ट्रीकरण अधि0 का पेश किया जिसकी प्रति वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। दिनांक 17.09.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र का वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसकी नकल दिलाई गई। तत्पश्चात दिनांक 16.02.2022 को दिये गये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन तथा विद्वान अधिवक्ता सुरेश कुमार खण्डेलवाल व सुनिल गहलोत की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज व बहस के आधार पर वादी ने अपना वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा तत्कालीन समय की डीएलसी भी नहीं बतायी है। बेचान लिखत से यह कहीं भी साबित नहीं होता है कि भूमि की वास्तविक दर तत्समय 100/–रूपये से कम थी। प्रतिवादीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी देने संबंधी साक्ष्य वादी द्वारा पेश भी नहीं किये है। प्रतिवादीगण द्वारा जो भूमि जरिये रजिस्टर्ड पंजीयन कय की है एवं इन दस्तावेजों को भी वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है तथा उन दस्तावेजों को विधिवत शून्य धोषित नहीं कराया है। साथ ही वादी ने वादपत्र के पद सं0 2 में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी धोषित करवाने का वाद प्रस्तुत किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बेचान लिखत के आधार पर खातेदार धोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है न ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का अधिकार है। वादी का बेचान लिखत दिनांक 13.04.1977 को वर्ष 1960 से अपना कब्जा बताकर प्रस्तुत किया है परन्तु वादी द्वारा वर्ष 1960 से अन्दर अवधि काल 3 वर्ष के भीतर संविदा पालन का वाद प्रस्तुत नहीं किया है न ही वादी ने 12 वर्ष की अवधि में कोई वाद प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा उचित नहीं है एवं वादपत्र में अनुतोष के संबंध में रजिस्टर्ड बेचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वाद को चलाने हेतु कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नि0 11 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करे। निर्णय/आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.02.2022 को जारी किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शिवगंज (राजस्थान) *

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:02:38 IST
Reason: SelfAttested